

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-51/2017-18/ 327 (मत्स्य) मत्स्य, राँची, दिनांक 11.02.2022
प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत द्वितीय चरण में कुल मो0 34.00 लाख (चौतीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में द्वितीय चरण में 2000 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का कार्य किया जाना है। इस हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन के अन्तर्गत स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 34.00 लाख (चौतीस लाख) रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के साथ प्रदान की जाती है:-

स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 34.00 लाख (चौतीस लाख) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजनाका मद एवं विपत्र कोड(राशि लाख ₹0 में)

क्रम0	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	बजट उपबंध	राज्यादेश सं0 13 रा0 (वि0) द्वारा स्वीकृत राशि	प्रथम अनुपूरक पश्चात् शेष बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050010120010109	17.72	17.72	0.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321	33.00	33.00	0.00	0.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323	152.20	152.20	0.00	0.00
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335	81.58	32.2576	29.9224	20.40
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय 53S24050010120010759	47.50	23.28	24.22	0.00
	उप योग :	332.00	258.4576	54.1424	20.40

3/2

16/2

	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050078920010109	1.0000	1.0000	0.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323	39.7600	39.7600	0.00	0.00
3	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	34.3800	12.0200	22.360	1.70
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
4	59 अन्य व्यय 53S24050078920010759	11.0000	6.3200	4.680	0.00
	उप योग :	86.1400	59.1000	27.040	1.70
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना				
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050079620010109	51.4100	51.4100	0.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050079620010321	87.0000	87.0000	0.00	0.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323	142.9500	142.9500	0.00	0.00
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335	128.0000	50.9224	77.0775	11.90
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय 53S24050079620010759	104.50	37.6000	66.900	0.00
	उप योग :	513.8600	369.8824	143.9776	11.90
	सकल योग :	932.0000	687.4400	244.560	34.00

कुल मो0 34.00 लाख (चौतीस लाख) रुपये मात्र।


- योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट 1 में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
- योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।
- परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय राँची तक) भुगतान किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशांसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

वर्तमान समय में समस्त विश्व में कोविड-19 की महामारी को देखते हुये सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
7. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
8. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।
9. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
11. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो0 695.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 516.52 लाख रु0 मात्रका व्यय किया गया है।
12. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।
13. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
14. वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
15. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।



विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 39 रा (क्र) / मत्स्य / राँची, दिनांक:- 11.02.2022
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 39 रा (क्र) / मत्स्य / राँची, दिनांक:- 11.02.2022
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- 39 रा (क्र) / मत्स्य / राँची, दिनांक:- 11.02.2022
प्रतिलिपि : योजना विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

39 रा (क्र)

सरकार के सचिव

सरकार के सचिव

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	स्थापना / जिला का नाम	05 दिवसीय प्रशिक्षण/विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				वित्तीय योग (लाख ₹ में)
		101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु० जातियों के लिए विशेष घटक	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	राँची	0	70	6	76	0.00
2	खूँटी	0	50	4	54	0.00
3	गुमला	0	50	4	54	0.00
4	सिमडेगा	0	50	4	54	0.00
5	लोहरदगा	0	50	4	54	0.00
6	लातेहार	0	50	4	54	0.00
7	प० सिंहभूम	0	60	4	64	0.00
8	पूर्वी सिंहभूम	0	50	4	54	0.00
9	सरायकेला	0	60	6	66	0.00
10	दुमका	0	70	4	74	0.00
11	जामताड़ा	0	50	4	54	0.00
12	साहेबगंज	0	50	4	54	0.00
13	पाकुड़	0	40	4	44	0.00
14	हजारीबाग	140	0	4	144	0.00
15	रामगढ़	100	0	4	104	0.00
16	कोडरमा	100	0	4	104	0.00
17	चतरा	100	0	4	104	0.00
18	बोकारो	100	0	4	104	0.00
19	गिरिडीह	80	0	4	84	0.00
20	धनबाद	100	0	4	104	0.00
21	गोड्डा	80	0	4	84	0.00
22	पलामू	100	0	4	104	0.00
23	गढ़वा	100	0	4	104	0.00
24	देवघर	200	0	4	204	0.00
योग : भौतिक लक्ष्य		1200	700	100	2000	0.00
25	म०कि०प्र०के० का वि०प्ल० (लाख ₹)	20.4000	11.9000	1.7000	34.0000	34.0000
योग : वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹ में)		20.4000	11.9000	1.7000	34.0000	34.00

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो० चौतीस लाख ₹ मात्र)

जिला

35

32

(अबुबकर सिद्दीक पी०)
सरकार के सचिव